

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0एस0के0चटर्जी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक 13/06/2013.

विषय:- दो करोड़ रुपये एवं दो करोड़ रुपये से कम लागत वाले कार्यों के लिए
pre-qualification हेतु माप-दण्ड।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/629/2003-90 पटना, दिनांक 16.01.2006
महाशय,

प्रासांगिक पत्र द्वारा एक करोड़ रुपये से कम लागत वाले कार्यों हेतु माप-दण्ड निर्धारित किया गया था। इस बीच महंगाई वृद्धि के कारण इसे अब दो करोड़ रुपये के लागत वाले कार्यों तक के लिए विस्तारित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव दो करोड़ रुपये एवं दो करोड़ रुपये से कम लागत वाले कार्यों के निविदा हेतु pre-qualification का माप-दण्ड निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

- (1) विभाग के समुचित श्रेणी में निबन्धित हो, तत्संबंधी अद्यतन निबंधन प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया हो।
- (2) निविदा-सूचना में अंकित अग्रघन की राशि समुचित रूप में समर्पित किया गया हो।
- (3) निम्न आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित किया गया हो।

"I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing."



उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित दस्तावेज प्रथम लिफाफा (pre-qualification Bid/Technical Bid) में जमा करना होगा। सिर्फ प्रथम लिफाफा अर्थात उपरोक्त माप-दण्डों के आधार पर योग्य पाए जानेवाले निविदादाताओं का, दूसरा लिफाफा (Financial Bid/Price Bid) खोला जाएगा। अयोग्य निविदादाताओं का दूसरा लिफाफा (Financial Bid/Price Bid) जस-का-तस सम्बन्धित निविदादाताओं को वापस कर दिया जाएगा।

पूर्व में निर्गत प्रासांगिक पत्र सहित विभागीय पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/629/2003-2374 दिनांक 26.12.2008 निरस्त किया जाता है। यह आदेश तुरत प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन


13/6/2012

(एस0के0चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)